२

ई–मेल

पत्र संख्या–05 / स्था०–18(प्रतिवेदन)–15 / 2025

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग।

प्रेषक,

नीरज धर,
अवर सचिव।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता,
जल संसाधन विभाग, बिहार।

पटना, दिनांक–

विषयः– बिहार राज्य मुकदमा नीति–2011 के आलोक में प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंगः– बिहार, विधानसभा, पटना का पत्रांक–789 दिनांक–22.04.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा बिहार राज्य मुकदमा निति–2011 के आलोक में "नीति बनने से लेकर दिनांक–31.03.2025 तक विभाग पर कितने मुकदमे हुए? इसमें वेतन भुगतान एवं प्रोन्नति से संबंधित कितने मामले हैं?" से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

उपर्युक्त के आलोक में आपके क्षेत्राधिकार से संबंधित विषयांकित प्रतिवेदन पत्र प्राप्ति के तीन दिनों के अन्दर उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

कृपया इसे शीर्ष प्राथमिकता दी जाए।

अनु0–यथोक्त्।

विश्वासभाजन
ह0 / –
(नीरज धर)
अवर सचिव

ज्ञापांक–05 / स्था०–18(प्रतिवेदन)–15 / 2025 2096, पटना / दिनांक– 08/05/2025

प्रतिलिपिः– कार्यपालक अभियंता, आई०टी०, जल संसाधन विभाग, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

नीरज 08/05/25
अवर सचिव

D/VK/2024/Kanhaiyan-ASO-FOlder